न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 11/2018 जिला अलवर ।

1. धूड़मल पुत्र श्री हरिसिंह, जाति अहीर,
2. दाताराम पुत्र श्री हरिसिंह, जाति अहीर
   निवासियान ग्राम विसली, तहसील कठूमर, जिला अलवर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, कठूमर, तहसील कठूमर, जिला अलवर (राज.)
2. माया पत्नि श्री श्यामशरण पुत्री दीपचन्द नमासी हरिसिंह, जाति अहीर, निवासी ग्राम पालका, तहसील नगर, जिला भरतपुर।
3. दया पत्नी श्री बबलूराम पुत्री दीपचन्द नमासी हरिसिंह, जाति अहीर, निवासी ग्राम भोजपुरी, तहसील कठूमर, जिला अलवर ।

असल रेस्पोंडेन्ट

4. सरपंच ग्राम पंचायत मथुराहेडा, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत मथुराहेडा, पंचायत समिति कठूमर, जिला अलवर ।
5. बसन्ती पत्नी श्री रामकुंवार, जाति अहीर, निवासी गोपालपुरा, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर ।
6. तारासिंह पुत्र श्री रामफल, जाति अहीर, निवासी ग्राम पालका, तहसील नगर, जिला भरतपुर ।
7. भगवान सिंह पुत्र श्री रामफल, जाति अहीर, निवासी ग्राम पालका, तहसील नगर, जिला भरतपुर ।
8. सरला पत्नी श्री बाबूलाल पुत्री श्री रामफल, जाति अहीर, निवासी ग्राम पालका हाल निवासी ग्राम छिलोरा, तहसील रामगढ, जिला अलवर ।
9. विमला पत्नी श्री बलबीर पुत्री श्री रामफल, जाति अहीर, निवासी ग्राम पालका हाल निवासी ग्राम श्रीचन्दपुरा, तहसील राजगढ, जिला अलवर ।
10. कमला पत्नी श्री सुन्दरलाल पुत्री श्री रामफल, जाति अहीर, निवासी ग्राम पालका हाल निवासी ग्राम छिलोरा, तहसील रामगढ, जिला अलवर ।

चित्र। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी कठूमर, जिला अलवर
दिनांक 8.3.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्योराम नरूका
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री जनार्दन शर्मा व श्री लाखन सिंह नरूका

निर्णय

दिनांक– 19.12.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी कठूमर, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 8.3.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है –

यह कि ग्राम विसली, जिला अलवर के खाता संख्या 104 स्थित आराजी कुल किता 4 रकबा 26 बीघा का खातेदार हरिसिंह पुत्र रामचन्द्र अहीर था । खातेदार हरिसिंह के फोत होने पर विरासत का नामांतरकरण क्रम संख्या 76 ग्राम पंचायत मथुराहेडा द्वारा दिनांक 30.7.1985 को धूडमल व दाताराम पुत्रान हरिसिंह के नाम बहिस्सा बराबर तस्दीक किया गया ।

उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 माया पत्नि श्यामशरण वगैरह द्वारा अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर, जिला अलवर के समक्ष मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई, जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8.3.2017 द्वारा इन्तकाल संख्या 76 वाके ग्राम विसली, ग्राम पंचायत मथुराहेडा ने अपीलान्ट्स को बिना सुने व बिना बुलाये, मृतक के सभी कानूनी वारिसान की जॉच किये बिना तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत फैसल किया जाना मानते हुए अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के पैरा 5 में वर्णित सजरे पर विश्वास करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 76 ग्राम विसली दिनांक 30.7.85 निरस्त किया जाकर पत्रावली तहसीलदार कठूमर को इस आदेश के साथ रिमाण्ड की गई कि वो मृतक हरिसिंह पुत्र रामचन्द्र के सभी कानूनी वारिसान की जॉच कर हिन्दू उत्तराधिकार के प्रावधानों के तहत मृतक हरिसिंह के सभी वारिसान के नाम विधि अनुसार इन्तकाल फैसल करें ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

उपखण्ड अधिकारी, कठूमर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट धूडमल द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण यथावत रखे जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना नोटिस तामील कराये व अपीलान्ट्स को बिना सुने अपीलाधीन निर्णय एक पक्षीय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्त के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील 31 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, जो निराशाजनक रूप से विलम्बित थी तथा विलम्ब का कारण भी कपोल–कल्पित अंकित किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में विलम्ब के संबंध में अपना अभिमत व्यक्त किये बिना ही गुणागुण पर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सर्वप्रथम न्यायालय को मियाद के बिन्दु पर निर्णय करना चाहिये तथा विलम्ब के संबंध में कारण संतोषजनक होने की स्थिति में विलम्ब को क्षमा करने के उपरान्त ही गुणावगुण पर निर्णय करना चाहिये अन्यथा प्रकरण मियाद के बिन्दु पर खारिज किया जाना चाहिये । उनका यह भी कहना था कि

ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण अपीलान्ट्स के पिता हरिसिंह की विरासत का पंचायत कौरम में अपीलान्ट्स के नाम तस्दीक किया था जिसे रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा जरिये मृतक नाना हरिसिंह की विरासत के प्रश्नगत इन्तकाल को चैलेन्ज किया है । हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में वर्ष 2005 में संशोधन हुआ था कि वर्ष 2005 से पूर्व मृतक पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों का हक नहीं होगा तथा वर्ष 2005 के पश्चात् पुत्रियों का अपने पिता की सम्पत्तियों में जन्म से हक व हिस्सा होगा , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि की है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रश्नगत नामांतरकरण यथावत रखा जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ताओं ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार हरिसिंह के वारिस उसके दो पुत्र धूडमल, दाताराम व तीन पुत्रियॉ भॅवरी देवी, शकुन्तला व बसन्ती है । ग्राम पंचायत द्वारा मृतक हरिसिंह की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण मृतक हरिसिंह की जायन्दा पुत्रियों के वारिसों को छोड़ते हुए केवल पुत्रों के नाम तस्दीक किया, जो विधि विरूद्ध है। उनका कहना था कि ग्राम पंचायत द्वारा मृतक के विधिक वारिसान की जॉच नहीं की तथा उन्हें सुनवाई का अवसर भी दिये बिना प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किया है । मृतक हरिसिंह की जायन्दा पुत्रियों के वारिस हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मृतक हरिसिंह के विधिक वारिस हैं तथा विवादित भूमि में हिस्सा प्राप्त करने के विधिक अधिकारी हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट्स की अपील उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.3.2017 द्वारा स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 76 दिनांक 30.7.85 निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, कठूमर को मृतक हरिसिंह पुत्र रामचन्दर के सभी कानून वारिसान की जॉच कर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत मृतक हरिसिंह के सभी वारिसान के नाम विधि अनुसार इन्तकाल फैसल करने हेतु रिमाण्ड किया है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में पक्षकारान के मध्य मुख्य विवाद विवादित भूमि के खातेदार मृतक हरिसिहं के विरासत के नामांतरकण के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा मृतक हरिसिंह के विरासत का नामांतरकरण संख्या 76 दिनांक 30.7.1985 को मृतक के पुत्रान अपीलान्ट धूड़मल व दाताराम के नाम तस्दीक किया है । दूसरी ओर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 व 3 मृतक हरिसिंह की पुत्री शकुंतला की पुत्रियॉ हैं यानी मृतक हरिसिंह की नवासी हैं, जिनके द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ दिनांक 30.8.2016 को 31 वर्ष पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई थी । अपीलाधीन आदेश दिनांक

8.3.2017 द्वारा उनके समक्ष अपीलान्ट्स की एक पक्षीय बहस सुनकर अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 76 दिनांक 30.7.85 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार कठूमर को मृतक हरिसिंह के सभी कानूनी वारिसान की जॉच कर हिन्दू उत्तराधिकार के अधिनियम के प्रावधानों के तहत मृतक हरिसिंह के सभी वारिसान के नाम इन्तकाल फैसल करने हेतु रिमाण्ड किया गया है । हम समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील 31 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी तथा विलम्ब के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में कोई अभिमत व्यक्त किये बिना गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है । जबकि मियाद का बिन्दू भी विधि का महत्वपूर्ण बिन्दू है जिसको न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम निर्णित करना चाहिये और विलम्ब का कारण संतोषजनक होने की स्थिति में ही विलम्ब को क्षमा कर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करना चाहिये, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इसको नजरअंदाज कर, किया है, जो विधिसम्मत नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष रेस्पोडेन्ट्स को बिना नोटिस तामील कराये एवं बिना सुने केवल अपीलान्ट की बहस सुनकर एक पक्षीय निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध है । विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्तियों को सुने बिना पारित निर्णय को न्यायिक निर्णय नहीं कहा जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम विलम्ब के संबंध में अपना अभिमत व्यक्त कर निर्णय करना चाहिये । यदि विलम्ब के कारण संतोषजनक होने की स्थिति में विलम्ब को क्षमा कर गुणावगुण पर निर्णय करना चाहिये एवं विलम्ब के कारण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में मियाद के बिन्दू पर अपील खारिज करनी चाहिये । ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट्स हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी, कठूमर, जिला अलवर दिनांक 8.3.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य

प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उन्हें प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

चित्रा गुप्ता

अति. सम्भाग[redacted]आयुक्त,

जयपुर